

The first is, what we are doing about the Washington Accord which is the one that deals with equivalence. Now, as far as that is concerned, we were actually to finish the process by June, 2009. We could not do it. Now, we have an extension till 2011 and we are in the process of setting up a framework through which the assessment will be done. It will not be input-based, but outcome-based. That is what the authorities have told us. So, we are in the process of formulating that. We had a meeting in Kyoto in Japan recently. We have been, in fact, asked that we can file our application for equivalence, to be part of the Accord, by 2010, even though the process is open till 2011. We should have everything in place by 2010 so that we file the application to ensure that there is equivalence.

Sir, on the other issue, when I talked about regulation, I meant it in an entirely different context. The regulation that has been existing till now has been regulation under Government. All the regulatory authorities are Government authorities or Government controlled authorities or Government funded authorities. What is going to happen in the new structure of education is that this process of regulation will not be under the Government at all or in the Government domain at all. It will be outside the Government and it will be manned by experts in the field.

SHRI PENUMALLI MADHU: Private experts!

SHRI KAPIL SIBAL: If you are an expert, let me know, Sir. We will also consider you.

Now, the point is that no education system anywhere in the world is unregulated.

We have seen what happens in the stock market when it is entirely unregulated. So, we do not want scams. There are enough scams already in the educational sector. So, let us all sit together, as Members of Parliament, set up a structure which is transparent, which is disclosure-based, not based on regulation by an agency. Sir, in this regard, we have already started the process. For example, under the UGC guidelines, we want all Deemed to be Universities and educational institutions of higher learning to actually tell us, through a website, which they set up on their own, as to how many faculty they have, how many departments they have, what infrastructure is available, etc., so that there is no need for inspection. Each institution will have to set up a website, which means no bureaucracy and no regulation. Then, it will be based on their own disclosures. And, once it is based on their own disclosures, we do not have to regulate it. But there has to be a regulatory agency to oversee the educational sector. That was my understanding of regulation.

*323. * [The questioner Shri Jai Prakash Narayan Singh was absent. For answer *vide* page 31 *infra*.]

'दोपहर के भोजन' की योजना में अनियमितताएं

*324. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री मोती लाल वोरा :††

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

††सभा में यह प्रश्न श्री मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया।

(क) क्या 'दोपहर के भोजन' की योजना बुनियादी ढांचे के अभाव और समय पर धन उपलब्ध न होने आदि कारणों से कुव्यवस्था का शिकार हो गई है;

(ख) देश में ऐसे कितने राज्य हैं जहां खाने के सामान का गलत ढंग से भंडारण किया गया, अथवा दोपहर का भोजन कक्षाओं में अथवा खुले आसमान के नीचे बनाया गया और स्कूलों के छात्रों से खाना बनाने का काम कराया गया;

(ग) क्या एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में इस योजना की निधियों का वर्ष 2008 तक उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) इस योजना में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2002-07 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भोजन पकाने की लागत के लिए निधियों को जारी करने में दस माह तक के विलंब की टिप्पणी की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में मध्याह्न भोजन खुले स्थान में अथवा शिक्षण-कक्षों में तैयार किया जा रहा है और 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षण कक्षों में खाद्यान्न के भंडारण के मामले भी ध्यान में आए हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची विवरण-1 में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ग) उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के तहत जारी और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(रु. लाख में)

राज्य	2007-08		2008-09	
का नाम	उपलब्ध निधियां	राज्य द्वारा प्रयुक्त निधियां	उपलब्ध निधियां	राज्य द्वारा प्रयुक्त निधियां
	(31.3.2007 की स्थिति के अनुसार जारी + अव्ययित शेष)		(31.3.2008 की स्थिति जारी+अव्ययित शेष)	अनुसार निधियां
उड़ीसा	36143.06	32331.91	28851.33	28238.19
उत्तर प्रदेश	90258.82	64364.74	82307.17	75170.48

(घ) सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को सुकर बनाने हेतु बाधाओं को दूर करते हुए समय-समय पर इसे संशोधित किया है। इस दिशा में उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं:-

- राज्य योजनाओं का अनुमोदन करने के लिए मंत्रालय में एक कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड का गठन।
- अग्रिम रूप से खाद्यान्न के आबंटन एवं निधियों की रिलीज़ का प्रावधान।
- योजना के प्रबंधन, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु खाद्यान्न, परिवहन एवं भोजन पकाने की लागत के 2 प्रतिशत का प्रावधान।
- रसोईघर-सह-भंडार के निर्माण एवं रसोई उपकरणों की खरीद के लिए योजना के तहत बजटीय प्रावधान।
- रसोईघर-सह-भंडार के निर्माण की लागत को राज्य दर अनुसूची एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले प्लिथ एरिया मानदंड के आधार पर संशोधित करना।
- पकाने की लागत (श्रम एवं प्रशासनिक प्रभारों को छोड़कर) में निम्नानुसार संशोधन:

(क) प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 1.68 रु. से बढ़ाकर 2.50 रु. प्रति बच्चा प्रति दिवस।

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 2.20 रु. से बढ़ाकर 3.75 रु. प्रति बच्चा प्रति दिवस।

विवरण-I

I. उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां मध्याह्न भोजन खुले स्थान पर अथवा शिक्षण-कक्ष में पकाया जा रहा था

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. उत्तर प्रदेश | 11. दमन और दीव |
| 2. उत्तराखंड | 12. मेघालय |
| 3. तमिलनाडु | 13. उड़ीसा |
| 4. झारखंड | 14. त्रिपुरा |
| 5. असम | 15. बिहार |
| 6. छत्तीसगढ़ | 16. मणिपुर |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 17. पश्चिम बंगाल |
| 8. राजस्थान | 18. मध्य प्रदेश |
| 9. हरियाणा | 19. आंध्र प्रदेश |
| 10. पंजाब | |

II. उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां खाद्यान्न का भंडारण शिक्षण-कक्षों में किया जा रहा था

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. हरियाणा | 7. दादरा और नगर हवेली |
| 2. उत्तराखंड | 8. मध्य प्रदेश |
| 3. झारखंड | 9. दमन और दीव |
| 4. तमिलनाडु | 10. उड़ीसा |
| 5. कर्नाटक | 11. गुजरात |
| 6. केरल | |

Irregularities in the Mid-Day Meal Scheme

†*324. SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI:

SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Mid-Day Meal Scheme has suffered from mismanagement due to lack of basic infrastructure and non-availability of funds in time, etc.;

(b) the details of such States in the country where food items were stored in the wrong manner or mid-day meal was cooked in classes or in open spaces and students of schools were engaged in cooking of food items;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether, according to a report, the funds for the scheme in Uttar Pradesh and Orissa were not utilized upto the year 2008; and

(d) the steps taken to do away with the irregularities in the Scheme?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) The Performance Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India for the period 2002-07 observed a delay of up to ten months in release of funds towards cooking cost. The same report stated that in the schools of 19 States/UTs, the mid-day meal was being prepared in the open or in classrooms and instances of foodgrains being stored in the classrooms were noticed in 11 States/UTs. Lists of these States/UTs are given in the Statement-I (See below).

(c) The details of funds released and utilized under the Mid Day Meal Scheme (MDMS) in Uttar Pradesh and Orissa States during 2007-08 and 2008-09 are given below:-

(Rs. in lakh)

Name of the State	2007-08		2008-09	
	Funds Available	Funds	Funds Available	Funds utilized
	(Released+ unspent balance as on 31.3.2007)	utilized by State	(Released+ unspent balance as on 31.3.2008)	by State
Orissa	36143.06	32331.91	28851.33	28238.19
Uttar Pradesh	90258.82	64364.74	82307.17	75170.48

(d) The Government has revised the Scheme from time to time to streamline its implementation by removing bottlenecks. The main steps in this direction are as follows:

- (i) Constitution of a Programme Approval Board in the Ministry to approve the State Plans.
- (ii) Provision for allocation of food grains and release of funds in advance.
- (iii) Provision of 2% of cost of food grains, transport and cooking cost for Management, Monitoring & Evaluation of the Scheme.
- (iv) Budgetary provision under the Scheme for construction of kitchen-cum-store and procurement of kitchen devices.
- (v) Revision of the cost of construction of kitchen-cum-store on the basis of State Schedule of Rates and plinth area norm to be determined by the Government of India.
- (vi) Revision of the cooking cost (excluding the labour and administrative charges) as below:

- (a) from Rs. 1.68 to Rs.2.50 per child per day for primary children
- (b) from Rs.2.20 to Rs.3.75 per child per day for upper primary children
- (vii) A separate component for payment of honorarium of Rs. 1000 per month to cook-cum-helper and introduction of a norm for engaging cook-cum-helper.

Statement-I

I. List of the States/UTs where mid-day meal was being prepared in the open or in classrooms

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Uttar Pradesh | 11. Daman & Diu |
| 2. Uttarakhand | 12. Meghalaya |
| 3. Tamil Nadu | 13. Orissa |
| 4. Jharkhand | 14. Tripura |
| 5. Assam | 15. Bihar |
| 6. Chhattisgarh | 16. Manipur |
| 7. Himachal Pradesh | 17. West Bengal |
| 8. Rajasthan | 18. Madhya Pradesh |
| 9. Haryana | 19. Andhra Pradesh |
| 10. Punjab | |

II. List of the States/UTs where instances of foodgrains being stored in the classrooms were noticed.

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Haryana | 7. Dadra & Nagar Haveli |
| 2. Uttarakhand | 8. Madhya Pradesh |
| 3. Jharkhand | 9. Daman & Diu |
| 4. Tamil Nadu | 10. Orissa |
| 5. Karnataka | 11. Gujarat |
| 6. Kerala | |

श्री मोती लाल बोरा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्याह्न भोजन में किस प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही हैं और मध्याह्न भोजन पकाने की लागत के लिए धनराशि देने में दस माह का विलम्ब हुआ है, यह CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

माननीय सभापति महोदय, बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। अगर आप माननीय मंत्री जी के जवाब को देखें, तो आपको पता चलेगा कि 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में कितनी अनियमितताएं मध्याह्न भोजन में बरती जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बच्चे सुबह-सुबह काम पर जा रहे हैं। राजेन्द्र जोशी की एक कविता बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कि बच्चे सुबह-सुबह काम पर जा रहे हैं,

क्यों काम पर जा रहे हैं,

क्या उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है,

क्या उनकी गेंदें समुद्र या तालाब में गिर गई हैं?

बच्चे काम पर न जाएं और बच्चों को स्कूल में जाने की एक व्यवस्था हमारी रहे, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, हमारे माननीय मंत्री भाई कपिल सिब्बल जी बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि बच्चों का भोजन जंग लगे टीन के डिब्बों से परोसा जाता है। हम बच्चों का कैसा भविष्य बनाने जा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि वह इन सारी अनियमितताओं को दूर करने की दिशा में एक त्वरित कार्यवाही करने का आदेश करें। आपने जो 19 राज्यों की सूची दी है जिसमें बच्चों को मध्याह्न भोजन खुले आसमान में अथवा शिक्षण-कक्ष में पकाया जाता है और 11 राज्य तो ऐसे बताए गए हैं कि जहां शिक्षण-कक्षों में खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। क्या इन सारी अनियमितताओं की जानकारी विभाग को नहीं हो पाई थी? CAG की वर्ष 2002-07 की रिपोर्ट आने के बाद ही इन अनियमितताओं की जानकारी हुई है। बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ इन राज्यों में हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसको रोकने की दिशा में आपने किस प्रकार की कार्यवाही या किस प्रकार के कदम उठाने की तजवीज की है?

श्री कपिल सिब्बल : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सवाल को उठाया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर सवाल है। यह गम्भीर इसलिए है कि जब हमने इस स्कीम को देखा, तो लगता है कि मिड-डे-मील के अन्तर्गत जब पैसे केन्द्र के द्वारा राज्य सरकारों को जाते हैं, वे पैसे वहां पर तुरन्त खर्च नहीं होते हैं। उसमें तीन-चार मीटिंग्स का विलम्ब होता है। मैं समझता हूँ कि जब तक प्रदेशों के स्तर पर यह Urgency नहीं होगी और प्रदेश की सरकारें यह तय नहीं करें कि हम Advance पैसा देंगे ताकि Mid Day Meal Scheme तुरन्त लागू हो, तब तक यह विलंब चलता जाएगा। हम चाहते हैं कि यह विलंब खत्म हो। हम यह भी चाहते हैं कि केन्द्र सरकार की तरफ से भी पैसा जाने में विलंब नहीं होना चाहिए। हम इस बात पर गौर करेंगे। सभापति महोदय, यह पहली बात थी, जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने उठाई है और वह सही भी है, यह "कैग" की रिपोर्ट में है, जो 2001 से लेकर 2006-07 की है, कि आजकल स्कूल में देखा जा रहा है कि जो खाना है, वह ओपन में पकता है और ग्रेन्स कमरे में रखे जाते हैं। कई टीचर्स का समय इसी में बीत जाता है। पढ़ाने की बात तो अलग रही, वे Mid Day Meal Scheme में ही लगे रहते हैं। इसमें बच्चे की शिक्षा का बहुत नुकसान होता है। इसके संदर्भ में, कैग की रिपोर्ट आने से पहले ही हमने तय कर लिया था कि जहां भी खाना पकेगा, वह पक्के टिन शेड्स के नीचे पकेगा, कच्चे टिन शेड्स के नीचे खाना नहीं पकेगा। हमने इसी संदर्भ में, ये शेड्स बनाने के लिए पैसे भी अलग से दिए हैं। ऐसे लगभग 8.55 लाख शेड्स बनेंगे।

दूसरी बात, हमने यह भी तय किया है कि टीचर्स की खाना बनाने में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमने यह भी तय किया है कि अगर किसी स्कूल में पच्चीस बच्चे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट कुक और एक हेल्पर होगा, पच्चीस से ज्यादा सौ तक बच्चे हैं तो दो कुक और दो हेल्पर होंगे और अगर सौ से ज्यादा बच्चे हैं तो एक एक्स्ट्रा कुक और होगा। उनको एक हजार रुपये वेतन मिलेगा ताकि वे दूसरे खर्च में नहीं आए। इस तरह से हमने वेतन भी बढ़ा दिया और एक्स्ट्रा कुक और हेल्पर की हर स्कूल में सुविधा भी दे दी। हम यह योजना हर स्कूल में बढ़ा रहे हैं ताकि टीचर की कोई दखलंदाजी नहीं हो, स्कूल के क्लास रूम में कोई ग्रेन नहीं हो और साथ ही साथ पक्के शेड में खाना बने। इसके साथ ही हमने किचन इन्सेन्टिव के लिए भी एक अलग सुविधा स्कूलों के लिए उपलब्ध कराई है। हम ये कदम उठा रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि हम इसको अभी पूरी तरह से लागू कर पायेंगे, लेकिन कुछ सालों में हर स्कूल में एक सेपरेट शेड होगा। यह काम शुरू हो चुका है।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाए हैं। भविष्य में जो कदम उठाने हैं, जैसे कि टिन के शेड में खाना बने और स्कूलों में उसका

भंडारण न हो, उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो धनराशि 2007 में दी गई थी, उन्होंने उसका उपयोग 2008 तक भी नहीं किया। क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश देंगे कि उनको जो धनराशि दी जाती है, उसका समय पर उपयोग करें? क्या माननीय मंत्री महोदय उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस राशि का उपयोग कम से कम एक साल तक नहीं हुआ है? जब एक साल तक राशि का उपयोग नहीं हुआ तो आखिर बच्चों को उसका लाभ कैसे मिलेगा? बच्चे भविष्य के निर्माता हैं। माननीय मंत्री जी, स्कूली शिक्षा की दिशा में और विशेष रूप से आपने जो सुविधाएं देने की बात कही है, बच्चों के भोजन में आपने जो राशि बढ़ाई है, उस राशि को बढ़ाने के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने राशि 1.68 रुपए से बढ़ाकर 2.50 रुपए की है, उच्चतर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 2.20 रुपए से बढ़ाकर 3.75 रुपए किए हैं, ये लागू होने चाहिए। यह कागज के आंकड़ों में न रहे, अगर माननीय मंत्री जी इसको लागू करने की दिशा में समुचित आदेश देंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के भविष्य के निर्माण में उनका काफी योगदान होगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा के स्तर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारी नींव हैं, उसके बाद आप कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, परंतु अगर हमारी नींव ही कमजोर रही तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप भविष्य की चिंता किस प्रकार से करेंगे?

श्री कपिल सिबल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी सही बात कही कि जब तक primary, upper primary और फिर secondary level तक शिक्षा का उच्च स्तर नहीं होगा, तब तक higher education में कोई सुधार नहीं आने वाला। यह बात सही है। जहां तक उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की, मेरे पास आंकड़े यहां हैं और जहां तक food grains की बात है, जो 2008-09 में allocation लगभग 4,17,992 मीट्रिक टन हुआ और utilization 3,14,481 मीट्रिक टन हुआ। हम उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखेंगे भी और हमने उनसे कहा भी है कि इसका utilization जरा ज्यादा अच्छा होना चाहिए।

जहां तक cooking cost का सवाल है, वहां utilization लगभग ठीक है। 2008-09 में funds available थे 63,686 लाख और utilization था, 60,406 लाख। यह लगभग ठीक था। जहां तक transport cost का सवाल है, वहां utilization बहुत कम हुआ। यह बड़े दुख की बात है कि वहां funds available थे 31,34,000 और जो utilize हुए, वे केवल 3,17,000 हैं। ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे नहीं हैं और मैं उड़ीसा के बारे में ऐसे ही आंकड़े दे सकता हूँ। यह बात सही है कि कई प्रदेशों को न केवल लिखेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि जो monitoring system है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक monitoring system वहां हैं, वह अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होगी, तो utilization ठीक नहीं होगा। Monitoring system में district level पर, पंचायत लेवल पर, civil societies, voluntary agencies से monitoring करनी चाहिए। इसमें जो State level committees हैं, उनमें MPs भी हैं, MLAs भी हैं, उनको भी monitoring करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि सभी इकट्ठा होकर अच्छी तरह से इसको monitor करें, ताकि यह योजना अच्छी तरह से आगे बढ़े।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, through you, I would like to know from the Minister if he is proposing to provide packaged food to the students instead of the present system of cooking on the spot.

SHRI KAPIL SIBAL: No, Sir.

DR. N. JANARDHANA REDDY: Sir, giving education, you know, is a difficult part of the school than giving mid-day meals. It is a very important aspect and also a difficult aspect. Our Minister, Kapil Sibalji, is competent enough to go round the country to see whether this mid-day meals scheme is being run properly and to see if it can be implemented in other parts. I am interested in this scheme, I have visited some private organisations. For example, in Andhra, with the permission of

the Government, cook the food, handover the food to the school at the right time. ISCON is one such organisation. There are so many other institutions. I would like to know whether the Minister would go round the country, or to important places, and take up this issue of distributing food to the poor children, as a prestigious one. Tamil Nadu is giving a good service in this. Though the Government of India has given money, enhanced the rates to give egg and fruit to children, nowhere it is happening. The Minister should give a serious thought to it and do something about it. May I request him to do that?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, in a lighter vein, I would require economy class tickets to go to every little spot, all over the country. We will, of course, have to request the Indian Airlines to fly to all these places. But, Sir, the point is very important. Sir, he is absolutely right and if you look at Andhra figures, Andhra is doing very well. Andhra has done very well. In terms of kitchen sheds, Andhra has done exceptionally well.

SHRI PENUMALLI MADHU: Andhra is not providing advance funds.

SHRI KAPIL SIBAL: That is a genuine problem. But, by and large, Andhra has done exceptionally well in the mid-day meal scheme. But, yes, Sir, he is absolutely right; I do not think it is possible for every Minister or anybody from the Central Government to go from school to school. The implementation of the scheme is the responsibility of the State. We provide funds to the State Governments. We provide money to the State Governments. The least the State Government should do is to ensure that the funds reach the school and the food grains reach the school and the funds are properly spent. This is the responsibility of the State Government. They have a monitoring mechanism in place and I hope Sir that each State will actually ensure that that monitoring mechanism works.

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन् मिड-डे मील योजना का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन संभवतः माननीय मंत्री जी को मालूम होगा और विभिन्न टीवी चैनल्स के ज़रिए भी यह दिखाया गया कि कभी उसमें से छिपकली निकलती है, कभी मेंढ़क निकलता है।

दूसरी बात यह है कि जहां-जहां प्राइमरी स्कूलों में यह चल रहा है, वहां पढ़ाई की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन गांवों में Montessori पद्धति के स्कूल खुल गए हैं, जिसके कारण actual enrolment कम हुआ है, जबकि यह योजना enrolment बढ़ाने के लिए लाई गई थी। आप कहीं भी जांच करवा लें, वहां fake enrolment है। बगल में ही गाज़ियाबाद है, आप चाहे वहां पर ही किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं, and you check it, verify it, आप देखेंगे कि बच्चों का fake enrolment है। बच्चे पढ़ते दूसरी जगह है, लेकिन ज्यादा बच्चों के नाम पर खाने का पैसा लिया जाता है।

तीसरी चीज़ यह है कि खाने की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि आए दिन यह शिकायतें मिलती हैं कि मिड-डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब इतनी सारी समस्याएं हैं, तो क्या केन्द्र सरकार इस पर कोई कार्यवाही कर रही है? केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पूरा पैसा देती है, जिसमें राज्य सरकारें या उनके अधीनस्थ कर्मचारी गड़बड़ियां भी करते हैं। क्या इन सब चीजों को मॉनिटर या स्टडी करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है? सैम्पल के तौर पर जांच करने के लिए क्या कभी किसी को कहीं भेजा गया है? क्या उसका कोई परिणाम भी आया है?

श्री कपिल सिब्बल : सर, एक्जुअली अपने एक सवाल में माननीय सदस्य ने कई सवाल पूछे हैं। पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हमने independent agencies द्वारा Mid-day Meal Scheme का जो evaluation करवाया है, उससे यह पता चला है कि उसका बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण

Primary और Upper-Primary में और ज्यादा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। इस पर कई और स्टडीज़ भी हुई हैं। वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में श्री अमर्त्यसेन जी ने भी इस पर स्टडी की है और वह भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। University of Rajasthan एवं UNICEF ने भी Situation Analysis of Mid-day Meal Programme in Rajasthan पर स्टडी की है और वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। इस पर ऐसी और भी कई स्टडीज़ हुई हैं, लेकिन उसमें मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता कि मिड-डे मील का कोई फायदा नहीं हुआ है। हां, उनकी यह बात सही है कि ऐसी शिकायतें कई प्रदेशों से आई हैं और उनमें गाजियाबाद भी एक हो सकता है अथवा हिन्दुस्तान में और भी कई जगहें ऐसी हो सकती हैं।

इस बात को मैं अवश्य मानता हूं कि इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। पीछे दिल्ली में भी ऐसी एक घटना हुई, जिसके कारण मिड-डे मील का जो सारा प्रोसेस था, उसे बंद कर दिया गया था, हालांकि अब वह खुल गया है। ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रदेशों को चौकन्ना रहना चाहिए और जो मॉनिटरिंग सिस्टम हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है, उसको इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं नहीं हों। यह जिम्मेदारी प्रदेश की है। केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस बात को भी देखें कि कहां पर, किस स्कूल में गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जैसे ही आप हमें बताएं, हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे। आपने गाजियाबाद के बारे में हमें बताया, वहां भी हम कार्यवाही करेंगे। यूपी में और भी कई स्थान ऐसे होंगे, जहां इस तरीके की बात होगी, तो उनकी जानकारी भी आप मुझे जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिए। उन पर भी हम पूरी तरह से कार्यवाही करेंगे।

*325. * [The questioner (Shri Bharatsinh Prabhatsinh Parmar) was absent. For answer vide page 32 *infra*.]

Quota of fertilizers for Himachal Pradesh

*326. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILISERS be pleased to state:

- (a) the quantum of fertilizers, including complex fertilizers, allocated and released to each State during each of the last three years and the current year;
- (b) whether Government has received any request from the State Government of Himachal Pradesh for increasing its quota to meet requirement of the State;
- (c) if so, the status thereof; and
- (d) the steps being taken by Government to ensure that the quota is released to the State to fulfil its requirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Urea is the only fertilizer which is under partial movement and distribution control of the Government. All other fertilizers viz. DAP, MOP, and NPK etc. are decontrolled/ de-canalized since 1992. The availability of Phosphatic and Potassic fertilizers is decided by the market forces of demand and supply. Union Government monitors availability of fertilizers at State level and State Governments are responsible for further distribution within the State.